

10



R-3878-I-16

समक्ष मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. / /

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार श्री कोप सिंह बरकड़े उम्र 38 वर्ष पिता श्री कढ़ोरी सिंह बरकड़े, निवासी ग्राम कुरगवां तहसील कुण्डम जिला जबलपुर

श्री कोप सिंह बरकड़े उम्र 38 वर्ष
द्वारा आज दि. 16.11.16
परस्तुत
535
16.11.16

विरुद्ध -

- अनावेदक -
- (1) म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
 - (2) श्रीमती साधना खम्परिया उम्र 58 वर्ष पति श्री विनीत खम्परिया
 - (3) श्री रजत खम्परिया उम्र 33 वर्ष पिता श्री विनीत खम्परिया, दोनों निवासी मकान नं. 1713, एम.आर. 4 रोड, मेहता कालोनी, तहसील व जिला जबलपुर

अपील/पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

Dehat
16/11/16

मान्नीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 180/अ-21/2015-16 में पारित अंतिम आदेश दि. 07/11/2016 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के तहत यह अपील/निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2- यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता आदिवासी श्री कोप सिंह बरकड़े उम्र 38 वर्ष पिता श्री कढ़ोरी सिंह बरकड़े, निवासी ग्राम कुरगवां तहसील कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम बिलगड़ा प.ह.नं. 56/90 रा.नि.मं खम्परिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 300/2, 301/2 रकवा क्रमशः 0.40, 0.40 हे. कुल रकवा 0.80 हे. भूमि अनावेदक/गैर आदिवासी (1) श्रीमती साधना खम्परिया उम्र 58 वर्ष पति श्री विनीत खम्परिया (2) श्री रजत खम्परिया उम्र 33 वर्ष पिता श्री विनीत खम्परिया, दोनों निवासी मकान नं. 1713, एम.आर. 4 रोड, मेहता कालोनी, तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में दिनांक 27/09/2016 को प्रस्तुत किया गया था।

3- उक्त आवेदन पत्र का सहपत्रों सहित अवलोकन किये जाने के पश्चात् प्रकरण दर्ज किया जाकर ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 07/11/2016 सुनवाई हेतु नियत किया गया।

कोप सिंह

///

R/S

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3878/एक/2016

जिला-जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
5-12-2016	<p>यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 180/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम विलगड़ा प.ह.न. 56/90 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 300, /2, 301/2, रकवा क्रमशः 0.40, 0.40 है कुल रकवा 0.80 है0 भूमि अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती साधना खम्परिया पति विनीत खम्परिया अनावेदक क्रमांक 3 रजत खम्परिया पुत्र विनीत खम्परिया दोनो निवासी मकान नं. 1713 एम.आर 4, रोड़ मेहता कालौनी तहसील व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर जबलपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर आदेश दिनांक 07.11.2016 को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जिससे विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र सारता निरस्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की</p>	

R/S



गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के पश्चात् उसके पास 11.25 एकड़ भूमि शेष बचेगी। जिससे वह उपरोक्त भूमि की विधिवत् देखभाल कर कृषि कार्य करेगा आवेदक अपने आवेदन पत्र में दर्शायी गयी भूमि को इसलिये भी विक्रय करना चाहता है क्योंकि उपरोक्त भूमि विक्रय किया जाना इसलिये आवश्यक है कि ग्राम विलगड़ा की भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं है। लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाती है, इसलिये उक्त जमीन को बेच देना उसके हित में है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। किन्तु कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिवत् विचार नहीं किया है, प्रकरण में स्थिति यह है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र कि विधिवत् जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जबलपुर द्वारा की गयी थी। तथा प्रकरण में समस्त अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अनुशंसा प्रतिवेदन दिये गये थे। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर भूमि विक्रय किये जाने के अनुमति दी जानी चाहिये थी। किन्तु प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर प्रकरण को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है जिससे आवेदक की ओर से प्रस्तुत विक्रय अनुमति आवेदन पत्र विचार किये जाने से रह गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति न्यायहित में दी जाये। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की गयी।

5- उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 07.11.2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया। तब ऐसी स्थिति में विक्रय अनुमति दी जानी चाहिए थी, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 07.11.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी शेष कास्तकारी भूमि की उन्नति तथा ग्राम विलगड़ा की भूमि से कोई लाभ व फायदा नहीं होने से लागत के अनुपात में उपज नहीं हो पाने से आवेदक द्वारा उक्त भूमि को बेच देना उसके हित में होने से भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं :-

1- पटवारी हल्का ने आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदक के पास कुल रकवा 11.25 एकड़ भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जाने

Handwritten signature

Handwritten signature

वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- पटवारी हल्का ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदक की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदक अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदक की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदक की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

7- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गार्ड लाईन से अनावेदक क्रमांक 2 श्रीमती साधना खम्परिया पति विनीत खम्परिया एवं अनावेदक क्रमांक 3 रजत खम्परिया पुत्र विनीत खम्परिया निवासी मकान न. 1713 एम.आर


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4 रोड मेहता कालौनी तहसील व जिला जबलपुर के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से अधिक विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 180/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम विलगड़ा प.ह.न. 56/90 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 300, /2, 301/2, रकवा क्रमशः 0.40, 0.40 है कुल रकवा 0.80 है0 भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

R
12


सदस्य